

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सतताईस'  
मध्यप्रदेश शासन  
पृष्ठ सं. [क. 1275]  
राजस्व विभाग, मंत्रालय

[24/2/2016]

परिशिष्ट 3

पृष्ठ सं. 1275

क्र. एफ 16-36/2013/सात/शा.2ए

भोपाल, दिनांक 17/01/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।

विषय : भूमिस्वामी हक में आवंटित भूमि के शासकीय पट्टेदारों द्वारा व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण भूमि विक्रय / अंतरण के संबंध में ।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय पट्टेदार जो मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 (3) के अनुसार भूमिस्वामी हैं और वे अपनी कतिपय व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण, शासकीय पट्टे की भूमि पर उसके अंश भाग को विक्रय / अंतरण करना चाहते हैं किन्तु उन्हें इस संबंध में कलेक्टर द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुसार शर्तों को पूरा करने एवं 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त भी विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जा रही है एवं प्रकरण वर्षों से लम्बित रखे गए हैं ।

2 (i) ज्ञातव्य हो कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158 (3) के प्रावधान अनुसार 28 अक्टूबर, 1992 के पूर्व के सभी कृषि भूमि के शासकीय पट्टेदारों को भूमिस्वामी समझा गया है। उक्त दिनांक के पश्चात राज्य सरकार / कलेक्टर / आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्वामी अधिकार में किया जाता रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के समस्त पट्टेदार भूमिस्वामी हैं। किन्तु धारा 158 (3) में यह परन्तुक प्रावधान है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा।

2 (ii) संहिता की धारा 165 (7ख) में यह प्रावधान है कि धारा 158 (3) के सभी भूमिस्वामी अपने धारणाधिकार की ऐसी भूमि कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के राजस्व अधिकारी की लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी गई अनुज्ञा के बिन अंतरित नहीं करेगा।

3. उपरोक्त प्रावधानों का तात्पर्य यह है कि कृषि भूमि के पट्टेदार आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक किसी भी रूप में (विक्रय, दान या अन्यथा) भूमि अंतरित नहीं कर सकते और 10 वर्ष बाद यदि ऐसे भूमिस्वामी भूमि विक्रय / अंतरित करना चाहें तो कलेक्टर की अनुज्ञा लेकर वे पट्टे की भूमि का विक्रय कर सकते हैं ।

4. स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय पट्टेदार-भूमिस्वामियों के अंतरण के मामलों में संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए नामांतरण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी भूमि का विक्रय / अन्तरण विधिसंगत अनुज्ञा प्राप्त कर किया जा रहा है या नहीं ।

5. उपरोक्त विषय पर सम्यक विचार करने के उपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर ऐसे प्रकरणों का भू राजस्व संहिता के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसंगत परीक्षण करें और यह देखें कि संहिता की धारा 158 (3) के परन्तुक में विहित कालावधि (10 वर्ष) के पश्चात् अपनी भूमि अथवा उसके अंशभाग को विक्रय / अंतरण की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों का विवरण देते हुए कलेक्टर को आवेदन करता है तो कलेक्टर ऐसे प्रकरणों में जांच उपरांत, जैसा कि वह उचित समझे, यदि विक्रय / अंतरण का पर्याप्त आधार पाता है, तो ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुज्ञा दे सकता है।

  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 17/01/2012.

पृ.क्र. एफ 16-36/2013/सात/शा.2ए  
प्रतिलिपि -

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल। कृपया, इस परिपत्र के संबंध में जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन जानकारी संकलित कर, पाक्षिक समीक्षा कर मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग